

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:-2/2019(जीसीएमएस नम्बर 2019/00112)

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्डहोल्डर, तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर, राजस्थान।

---अपीलान्त

बनाम

1. मन्नूराम पुत्र श्री हरिराम, जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम लीली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर, राजस्थान।
2. ग्राम पंचायत लीली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत लीली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर

---रेस्पोडेन्ट

---तरतीबी रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति:-

1. श्री गणपत सिंह नरूका एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री सुमनदीप तिवाड़ी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक 04.04.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर कथन किया था कि आराजी खसरा नम्बर 218 रकबा 0.45 खसरा नम्बर 769 रकबा 0.1680 कुल किता 2 कुल रकबा 0.61 वाके ग्राम लीली व आराजी खसरा नम्बर 758 रकबा 0.1800, खसरा नम्बर 812 रकबा 0.31 खसरा नम्बर 818 रकबा 0.12 कुल किता 3 कुल रकबा 0.61 वाके ग्राम लीली तहसील लक्ष्मणगढ़ में स्थित है, जो आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाना सरवन की स्वयं की पैदाकर्दा आराजी थी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाना के कोई संतान नहीं थी, जो नाऔलाद फौत हुआ था जिस सरवन की सेवा चाकरी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके अन्य भाईयों ने की जिससे प्रसन्न होकर सरवन ने अपनी चल व अचल सम्पत्ति उक्त आराजी का वसीयतनामा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के व अन्य के नाम कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा जब नामान्तरकरण संख्या 215 दर्ज किया था उस समय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम मन्नूराम के स्थान पर शौभाराम दर्ज कर दिया, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समस्त दस्तावेजात व पहचान कार्ड में उसका नाम मन्नूराम दर्ज है, आराजी में वह अपना नाम दुरुस्त कराना चाहता है आदि-आदि की पेश की व अपील के साथ रिकार्ड व नामान्तरकरण की प्रतिलिपी पेश की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपील पर सुनवाई करते हुये अपीलान्त के विरुद्ध अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2017 पारित किया गया है जो आदेश विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि विवादित आराजीयात ग्राम लीली तहसील लक्ष्मणगढ़ में स्थित जिस आराजती का नामान्तरकरण दिनांक 06.03.1997 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा स्वीकार किया गया जिस नामान्तरकरण के विरुद्ध अपील

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.11.2015 को पेश की गई थी जो अपील रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा लगभग 19 साल की लम्बी अवधि के बाद पेश की गई एवं इतनी लम्बे विलम्ब के सम्बन्ध में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में कोई न्यायोचित व सन्तोषजनक कारण भी दर्ज नहीं किया गया था उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोंडेन्ट द्वारा लम्बी अवधि बाद पेश की गई अपील की देरी की अवधि कण्डोन की गई जिस तथ्य को कानूनी बिन्दु के आधार पर जाँच किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों विपरित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.02.2017 अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा विवादित आराजी के नामान्तरकरण संख्या 117 में दुरुस्ती के आशय से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूदा अपील पेश की गई जिसमें अत्यधिक अहम कानूनी बिन्दू अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय था कि क्या मौजूदा अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष श्रवण योग्य है या नहीं जिस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कर्तई गौर नहीं करते हुये खिलाफ क्षेत्राधिकार सुनवाई का अधिकार नहीं होने के बावजूद अपील पर सुनवाई करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.02.2017 पारित किया है, जो खिलाफ कानून है और अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम के सम्बन्ध में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.02.2017 की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नहीं थी तथा अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 20.03.2018 को हुई जिस पर अपीलान्ट द्वारा उच्चाधिकारियों से प्रकरण के सम्बन्ध में अपने विनम्र मतानुसार विधिक राय प्राप्त की गई, जिस पर निर्णय दिनांक 11.02.2017 के विरुद्ध अपील बिना किसी देरी के न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई है एवं अपील पेश करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अपील के साथ अलग से पेश किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2017 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 117 पर ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 22.10.16 को पटवारी हल्का से तब हुई जब रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 आराजी पर बैंक से क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये नकल लेने गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि जमाबन्दी में आपका नाम मन्चू के स्थान पर शौभाराम दर्ज कर रखा है और इस कारण आपको बैंक से क्रेडिट कार्ड नहीं बन सकता है जिस पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया और दिनांक 28.10.22016 को नकल नामान्तरकरण प्राप्त हुई उसके बाद वकीलों से सलाह मशविरा किया और जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश की गई थी जिस अपील पर

P.T.O.

५
 ५
 ५

(3)

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विस्तृत जाँच उपरान्त ही गुणावगुण पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नहीं की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि प्रकरण में भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश से किसी भी प्रकार से राज्यहित प्रभावित नहीं हो रहा है बल्कि अपीलान्ट द्वारा रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को हैरान व परेशान करने की बदनियत से मियाद बाहर अपील पेश की गई है जो खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें हैं जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि खातेदार की मृत्यु हो जाने पर ग्राम पंचायत लीली द्वारा खातेदार के वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है किन्तु रेस्पोजेन्ट संख्या 1 का नाम उक्त नामान्तरकरण संख्या 117 में गलत दर्ज होने जाने के कारण नाम को दुरुस्त कराने हेतु रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2017 पारित किया गया है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत अपनी हस्तगत अपील में कही पर भी यह अंकित नहीं किया गया है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2017 से राज्यहित किस प्रकार प्रभावित हो रहा है एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, नामान्तरकरण एवं अपीलार्थी की अपील इत्यादि के अवलोकन एवं मनन पर ऐसा विदित होता है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में बिना विवेक के एवं बिना न्यायिक माईण्ड अप्लाई किये ही हस्तगत अपील पेश की गई। ऐसी स्थिति में हम प्रकरण में किसी भी प्रकार का राज्यहित प्रभावित नहीं होने के कारण उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2017 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपीलार्थी की अपील खारिज किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2017 का यथावत रखा जाता है।

(डॉ० प्रवीण कुमार)

अतिरिक्त आयुक्त,

जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त आयुक्त,

जयपुर।